रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236681
CG-DL-E-17062022-236681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2671] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
No. 2671] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2022

का.आ. 2808(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महत्वपूर्ण बैंककारी समाधान वास्तविक समय समग्र निपटान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) और राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकी निधि अंतरण, जिसमें ढांचागत वित्तीय संदेश सर्वर है, जो आईसीआईसीआई बैंक की महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना है और उस पर निर्भर सहबद्धों के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित प्रणालियां घोषित करती है और संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

(क) आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई अभिहित कर्मचारी;

(ख) संविदा द्वारा प्रबंध की गई सेवा के प्रदाता के दल का कोई सदस्य या तृतीय पक्षकार विक्रेता जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) मामला दर मामला के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई सलाहकार, विनियामक,सरकारी,कार्मिक,संपरीक्षक और पणधारी ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. एए-11018/2/2021-सीएल एंड ईएस]

डा. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2022

S.O. 2808(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the Core Banking Solution, Real Time Gross Settlement and National Electronic Fund Transfer comprising Structured Financial Messaging Server, being Critical Information Infrastructure of the ICICI Bank, and the computer resources of its associated dependencies to be protected systems for the purpose of the said Act and authorises the following personnel to access the protected systems, namely: -

(a) any designated employee authorised by the ICICI Bank;

(b) any authorised team members of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised by the ICICI Bank for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, government official, auditor and stakeholder authorised by the ICICI Bank on case to case basis.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. AA-11018/2/2021-CL&ES]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.17 22:42:44 +05'30'